

भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3099

09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

त्रिपुरा में आयुर्वेदिक चिकित्सक

3099. श्री बिप्लब कुमार देब:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) त्रिपुरा में आयुर्वेदिक चिकित्सकों के स्वीकृत पदों का जिलेवार ब्यौरा क्या है;
- (ख) त्रिपुरा में आयुर्वेदिक चिकित्सकों की वर्तमान संख्या क्या है;
- (ग) क्या यह सच है कि देश में आयुर्वेदिक उपचार की मांग बढ़ी है; और
- (घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में हाल ही में किए गए प्रयासों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, त्रिपुरा में आयुर्वेदिक चिकित्सकों के स्वीकृत पदों का जिला-वार विवरण, और उनकी वर्तमान संख्या राज्य सरकार के पास है। त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 58 स्वीकृत पदों के सापेक्ष आयुर्वेदिक चिकित्सकों के 26 पद भरे हुए हैं।

(ग) और (घ): जी हाँ, आयुष मंत्रालय आयुर्वेद सहित आयुष पद्धति के विकास और संवर्धन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से 2014-15 से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है ताकि आम बीमारियों के इलाज के लिए आयुष चिकित्सा पद्धति की क्षमता के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके। एनएएम योजना के कार्यान्वयन के बाद, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आयुर्वेद सहित आयुष चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए उपलब्धि के स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। तदनुसार, एनएएम योजना की विभिन्न गतिविधियों के लिए धीरे-धीरे एनएएम के बजट आवंटन में वृद्धि 75.28 करोड़ रुपये (2014-15 में) से 1200.00 करोड़ रुपये (2024-25 में) की गई है। मिशन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रावधान करता है:-

- i. मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन द्वारा आयुषमान आरोग्य मंदिर (आयुष) का संचालन
- ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना
- iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन
- iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास) के लिए भवन का निर्माण/ उन क्षेत्रों में नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण, जहां कोई आयुष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं
- v. 50/30/10 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना

- vi. राजकीय आयुष अस्पतालों, राजकीय औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति
- vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम
- viii. व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण (बीसीसी)
- ix. राज्य और जिला स्तर पर गतिशीलता सहायता
- x. आयुष ग्राम
- xi. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है
- xii. आयुष स्नातक संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/पीजी/फार्मैसी/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना।

इसके अलावा, आयुष मंत्रालय आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयुष में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के संवर्धन के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना भी कार्यान्वित करता है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में आबादी के सभी वर्गों तक पहुँचना है और इस योजना के तहत, मंत्रालय राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर आरोग्य मेले, योग महोत्सव/उत्सव, आयुर्वेद पर्व आयोजित करता है, आयुर्वेद दिवस सहित आयुष पद्धतियों के महत्वपूर्ण दिवस मनाता है, स्वास्थ्य मेले/मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेता है, सेमिनार, कार्यशालाओं, सम्मेलनों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और मल्टीमीडिया अभियान आदि चलाता है।
